

विविध बैंक प्रकरण संख्या 119/2019 (RCMS 2019/00196) भारतीय स्टेट बैंक, शाखा जवाहर नगर, श्रीगंगानगर जरिये श्री राम प्रसाद मीणा, प्राधिकृत अधिकारी / /मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक (रामसेक) द्वितीय तल, पब्लिक पार्क, श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. कुमारी प्रिया मक्कड़ पुत्री श्री मोहन लाल मक्कड़, निवासी मकान नं. 31, चक 5 ई छोटी, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज.) 2. श्री मोहन लाल मक्कड़ पुत्र श्री दीवान चंद - मैसर्स न्यू एरा कोस्मेटिक, अग्रसेन नगर, नजदीक गुरुद्वारा, श्रीगंगानगर एवं मकान नं. 31 चक 5 ई छोटी, पूजा कॉलोनी, श्रीगंगानगर (राज.)

27.11.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता उपस्थित हैं। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी कुमारी प्रिया मक्कड़ एवं श्री मोहन लाल मक्कड़ को ऋण सुविधा के रूप में खाता संख्या 61083511243 में 1,73000/- का ऋण 24.11.2019 को एवं खाता संख्या 61176572188 में 2,05,000/- का ऋण 15.01.2003 को कुल 3.78 लाख रुपये (अखरे रुपये तीन लाख अडत्तर हजार मात्र) का ऋण स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी श्री मोहन लाल की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (क्षेत्रफल 27'9" गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाते दिनांक 04.02.2016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 14.03.2018 को 4,31,188/-रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्च अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 14.03.2018 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का

जारी किया गया, जो पोस्ट ऑफिस के ट्रेक कंसाईन्मेंट के अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील हो चुकी है जिसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी श्री मोहन लाल मक्कड़ द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (क्षेत्रफल 27'9" गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण कुमारी प्रिया मक्कड़ एवं श्री मोहन लाल मक्कड़ को खाता संख्या 61083511243 में 1,73000/- का ऋण 24.11.2019 को एवं खाता संख्या 61176572188 में 2,05,000/- का ऋण 15.01.2003 को कुल 3.78 लाख रुपये (अखरे रुपये तीन लाख अडत्तर हजार मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थीगण ऋणियों कुमार प्रिया मक्कड़ एवं श्री मोहन लाल मक्कड़ द्वारा रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (क्षेत्रफल 27'9" गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों का खाता दिनांक 04.02.20016 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन. पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 14.03.2018 जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गए हैं एवं नोटिस के प्राप्ति के परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कंसाईन्मेंट की प्रति पेश की है, जिनकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार उक्त धारा 13(2) का नोटिस तामील हो चुका है। इस प्रकार धारा 13(2)

के नोटिस तामील के बाबजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों ने प्रार्थी बैंक की बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के उक्त नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गयी श्री मोहन लाल मक्कड़ की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (क्षेत्रफल 27'9" गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 14.03.2018 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 14.03.2018 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थीगण कुमारी प्रिया मक्कड़ एवं श्री मोहन लाल मक्कड़ के नाम रजिस्टर्ड डाक से जारी किये गये है जिसकी नोटिस भेजने की पोस्ट ऑफिस की रसीद एवं नोटिस प्राप्ति के ट्रेक कन्साईन्मेंट के अनुसार अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। परिणामस्वरूप उक्त रसीद की प्रतियां रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बैंक

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

के अधिवक्ता ने अप्रार्थीगण को जारी नोटिस की बैंक के रजिस्टर की प्रति भी पेश की है, जो भी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके बाबजूद भी अप्रार्थी ने बैंक की समस्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई है और न ही प्रार्थी बैंक के शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया हैं। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी श्री मोहन लाल मक्कड़ की रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31 (क्षेत्रफल 27'9" गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक, श्रीगंगानगर का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 11.09.2019 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी श्री मोहन लाल मक्कड़ द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान नं. 31(क्षेत्रफल 27'9" गुणा 65' वर्गफुट), पूजा कॉलोनी, किल्ला नं. 12, मुरब्बा नं. 43, चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर में स्थित है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला मजिस्ट्रेट

श्री गंगानगर